संख्या- 13 /2021/741 /30-3-21-06बी/2014

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 03 मार्च, 2021

विषय :- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वाहनों में जनहित में स्पीड लिमिटेशन डिवाइस (स्पीड गर्वनर) हेतु स्वीकृत धनराशि से अवशेष धनराशि के मद परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1811स0सु0/2020-09स0सु0/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन निगम की 680 बसों में यात्रियों की सुरक्षा व सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में अनुमोदित धनराशि रू0 520.00 लाख में से Sleep Alert Systems (Without Accelator Cutoff) प्रणाली की स्थापना पर व्यय हेतु शासन से स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस मद हेतु परिवहन निगम को पूर्व में शासनादेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा रू0 175.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2020 द्वारा रू0 315.00 लाख की प्राप्त धनराशि अर्थात् कुल रू0 490.00 लाख में से अवशेष रू0 65,10,854.00 के मद परिवर्तन किये जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24-03-2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि में से दिनांक 31-03-2021 तक व्यय धनराशि का विवरण शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2021/741(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in